



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1884]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2013/श्रावण 23, 1935

No.1884]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2013/SRAVANA 23, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(एमआरटीएस-II)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2013

का.आ. 2458(अ).—मेट्रो रेल (कार्यों का संनिर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 1 की उप-धारा (3) और मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, केरल सरकार से परामर्श करने के बाद, एतद्वारा यह घोषित करती है कि उक्त अधिनियमों अर्थात् मेट्रो रेल (कार्यों का संनिर्माण) अधिनियम, 1978 और मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का क्रमशः इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से केरल राज्य के कोच्चि महानगर क्षेत्र तक विस्तार किया जाए।

[फा. सं. के-14011/26/2012-मेट्रो/एमआरटीएस-II]

बी. के. पति, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(MRTS-II)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2013

S.O. 2458(E).—In exercise of the powers respectively conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978) and sub-section (2) of Section 1 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government, after consultation with the Government of Kerala, hereby declare that the provisions of said Acts, namely, the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978, and the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 shall respectively extend to the Metropolitan area of Kochi in the State of Kerala with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. K-14011/26/2012-Metro/MRTS-II]

B. K. PATI, Under Secy.